फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

अर्जुन बनाम मुकेश वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 21/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय राजीनामे हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। राजीनामे के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा इस आशय का पेश किया गया है कि "हम पक्षकारान ने आपस में मिल बैठकर राजीनामा कर लिया है प्रकरण में वर्णित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगणों की पैतृक भूमि है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज सोन्या उर्फ सोनपाल की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी थी। सोन्या उर्फ सोनपाल के तीन पुत्र थे 1. रेवड 2. मूल्या 3. कन्हैया। सेटलमेण्ट विभाग द्वारा भूमि का गलत बटवारा कर दिया था जिसका उक्त रेवड मूल्या एवं कन्हैया के वारिसों ने राजीनामा कर लिया है। जिसमे प्रार्थना पत्र में सोनपाल के नाम की भूमि की खातेदारी में से गलती हुई उसे दुरूस्त व सही कर सोनपाल के वारिस रेवड, मूल्या, कन्हैया के प्रत्येक के हिस्सा 1/3 भूमि देते हुए दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अर्थात अर्जुन पुत्र रेवड, रामकिशन पुत्र रेवड, श्रीकिशन पुत्र रेवड, हरदेव पुत्र रेवड को हिस्सा 1/3 तथा धर्मसिंह पुत्र मूल्या, नाथू पुत्र मूल्या, बीरबल पुत्र मूल्या को हिस्सा 1/3 तथा कन्हैया के वारिस बलराम पुत्र कजोड, मीरा पुत्री कजोड, रेखा पुत्री कजोड, मुकेश पुत्र कन्हैया, राधेश्याम पुत्र कन्हैया, गुलाब पत्नि रामखिलाडी, शीला पुत्री रामखिलाडी, महेश पुत्र रामखिलाडी, ज्ञानसिंह पुत्र रामखिलाडी 1/3 हिस्सा देते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे" पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात तथा तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज सोन्या उर्फ सोनपाल की खातेदारी की भूमि रही है। लेकिन हिस्से सजरा खानदान अनुसार दर्ज नहीं हो सके। अब उभयपक्षों द्वारा प्रकरण में राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया है कि राजीनामे अनुसार हिस्सा दुरूस्त किया जावे। इसलिए राजीनामा अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है। अतः उभयपक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या नया 80 पुराना 4 तथा खाता संख्या नया 81 पुराना 74 वाके रामा पाडली बाढ तह0 सिकराय जिला दौसा में हिस्सा दुरूस्त कर राजीनामे अनुसार नवीन हिस्सा दर्ज करें। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना करें। पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा